भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 719
26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

719. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

श्री गणेश सिंह:

श्री बसवराज बोम्मई:

श्री मुरारी लाल मीना:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री लुम्बा राम:

श्री पी. सी. मोहन:

श्री अरविंद धर्मापुरी:

श्री तेजस्वी सूर्या:

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्री पी. पी. चौधरी:

श्री जगदम्बिका पाल:

डॉ. संजय जायसवाल:

श्री विष्णु दयाल राम:

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:

श्री अनिल फिरोजिया:

श्री विजय बघेल:

श्री जनार्दन मिश्रा:

श्री धर्मबीर सिंह:

श्री नव चरण माझी:

श्रीमती कमलजीत सहरावतः:

श्री मुकेश राजपूत:

श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड सहित देशभर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कोई रणनीति बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में राज्यों को प्रदान की जा रही तकनीकी/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार एबीडीएम के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम चला रही है;

(ङ) आयुष्मान भारत के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किये गए उपचार का राज्य-वार कुल व्यय कितना है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के पाली और जोधपुर जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि मिशन का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। एबीडीएम द्वारा बनाया गया डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा में परिचर्या की निर्बाध निरंतरता में सहायता करता है। एबीडीएम केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसका परिव्यय वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्षों के लिए 1600 करोड़ रुपये है। दिनांक 19 जुलाई, 2024 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 71.17 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

एबीडीएम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति, सैंडबॉक्स दिशानिर्देश और स्वास्थ्य सूचना प्रदाता दिशानिर्देश जैसे विभिन्न नीतिगत ढांचे तैयार और जारी किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एबीडीएम को अपनाने और बढ़ाने के लिए स्कैन तथा शेयर, माइक्रोसाइट और डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन स्कीम जैसी पहल शुरू की गई हैं।

सरकार राजस्थान में पीसीटीएस और आईएचएमआईएस (एचएमआईएस) जैसे राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सरकारी सुविधाकेंद्रों में एकीकृत कर रही है। कर्नाटक में आरोग्यश्री और आरबीएसके जैसे कार्यक्रमों को एबीडीएम के साथ एकीकृत किया जा रहा है। झारखंड में एबीडीएम-सक्षम एचएमआईएस सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में लागू है।

दिनांक 19 जुलाई की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 34 ने एबीडीएम को अपना लिया है और 31 ने सफलतापूर्वक पीएमयू को इसमें शामिल कर लिया है तथा एबीडीएम में पीएमयू को शामिल करने के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के आईटी समाधानों को एबीडीएम के तहत विभिन्न रजिस्ट्रियों के माध्यम से एकीकृत किया जाता है ताकि देश भर में लॉगिट्यूडनल ईएचआर के सृजन में सहायता मिल सके। दिनांक 19 जुलाई, 2024 की स्थिति के अनुसार, 217 संस्थाएँ (51 सार्वजनिक और 166 निजी) एबीडीएम पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत हो चुकी हैं। वर्तमान में 800 से अधिक संस्थाएँ (सरकारी और निजी) एबीडीएम के साथ एकीकृत हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**आवंटित (करोड़ रु. में)**	**निर्गत (करोड़ रु. में)**	**उपयोग की गई (करोड़ रु. में)**
राजस्थान	19.69	2.51	1.2
कर्नाटक	18.79	3.36	1.49
झारखंड	14.19	1.54	0.44

आयुष्मान भारत के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों द्वारा लिए गए उपचार की कुल संख्या तथा राज्य-वार लागत की राशि का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) के अंतर्गत कवर किए गए कुल लाभार्थी परिवारों की संख्या जोधपुर (जोधपुर ग्रामीण सहित) और पाली में क्रमशः 2,49,689 और 1,38,340 है। एबी पीएम-जेएवाई के तहत, सभी लाभार्थी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के शुरू होने के बाद से कैशलेस स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

अनुलग्नक - 1

70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को अस्पतालों में भर्ती किये जाने की राज्यवार संख्या

राज्य\संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत अस्पताल में भर्ती की संख्या	राशि (करोड़ रु. में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	251	0.8
आंध्र प्रदेश	518145	1321.5
अरुणाचल प्रदेश	262	0.5
असम	84117	144.9
बिहार	128881	138.0
चंडीगढ़	3113	3.1
छत्तीसगढ	277907	374.2
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	7682	9.4
गोवा	947	0.4
गुजरात	321812	1105.5
हरियाणा	190353	291.9
हिमाचल प्रदेश	37929	48.6
जम्मू और कश्मीर	191230	328.1
झारखंड	185358	189.2
कर्नाटक	773011	892.4
केरल	1021024	1101.1
लद्दाख	2964	4.6
लक्षद्वीप	176	0.5
मध्य प्रदेश	222712	452.0
महाराष्ट्र	246777	844.8
मणिपुर	14461	26.0
मेघालय	29506	36.6
मिजोरम	12067	19.7
नागालैंड	6954	14.9
पुदुचेरी	8605	7.5
पंजाब	196252	341.1
राजस्थान	313258	453.9
सिक्किम	2355	2.9
तमिलनाडु	318415	513.2
तेलंगाना	151755	372.5
त्रिपुरा	34128	32.9
उत्तर प्रदेश	311566	505.4
उत्तराखंड	144251	300.4

******